



2026:AHC:68247

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 8744 वर्ष 2026

पवन रावत आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सचिव के माध्यम से प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आरुषि खरे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री ईशान खान ने आवेदक के अधिवक्ता सुश्री आरुषि खरे और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शिव दत्त शुक्ला को संक्षिप्त जानकारी देते हुए सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत याचिका, आवेदक पवन रावत की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा लंबित रहने के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 21/22 के तहत एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 21/22 के तहत उन्हें ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 100(4) द०प्र०स० के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है और किसी भी स्वतंत्र गवाह ने कथित वसूली का समर्थन नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस कर्मियों ने आवेदक की तलाशी लेने से पहले अपनी तलाशी ली, लेकिन तलाशी लेने के लिए कोई स्वतंत्र व्यक्ति मौजूद नहीं था। आवेदक 18.10.2023 से जेल में बंद है और वचन देता है कि यदि उसे ज़मानत दी जाती है तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि, न्यायालय के समक्ष मामलों की भारी संख्या-में लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष निकलने की संभावना बहुत कम है।

4. ततस्य विपरीत अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के कब्जे से 300 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर बरामद होने का आरोप है। हालाँकि, किसी भी स्वतंत्र गवाह ने कथित वसूली का समर्थन नहीं किया है, और तलाशी लेने के लिए अनिवार्य प्रावधानों, जैसा कि निर्धारित किया गया है, का पुलिस कर्मियों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। आवेदक 18.10.2023 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत ज़मानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- पवन रावत को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए दो-दो ज़मानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाएगा: -

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।



(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

सुमैरा

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)